तपन कुमार मुखर्जी

बनाम

हीरोमोनी मोंडल और एक अन्य

नवंबर 14, 1990

[एस, रंगनाथन और के, रामास्वामी, न्यायाधिपतिगण]

अदालत की अवमानना अधिनियम - धारा 3 और 19 - अदालतो के आदेश - सरकारी अधिकारियो द्वारा बरती जाने वाली अतयधिक सतर्कता का अनुपालन।

अपीलार्थी, राज्य सरकार का एक अधिकारी, ने कनिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी-सह-खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.1987 का अनुपालन करने के लिये नियुक्त किया गया था, जिसमें प्रतिवादी राज्य को विवादितभूमि के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओ के कब्जे ओर उक्त भूमि पर खेती करने से हस्तक्षेप करने से रोका गया था। अपीलार्थी को उक्त आदेश से विधिवत अवगत कराया गया और इसके परिणामस्वरूप खंड स्तर कंपनी समन्वय समिति ने बैठक की और दिनांक 20.7.1987 को एक प्रस्ताव पारित किया कि "कुलतुली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अपीलकर्ता उक्त प्रस्ताव में एक पक्षकार था। इसके बावजूद, दिनांक 3/8/87 को उसने कुलतुली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें सूचित किया गया कि ज्ञापन में उल्लिखित पट्टाधारकों को विवादित भूमि पर खेती करने का अधिकार है और पट्टाधारकों को खेती की अवधि के दौरान पुलिस की मदद दी जाने की बात कही गई थी। यह ज्ञापन सीधे और स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अवमानना याचिका पर, उच्च

न्यायालय ने अपीलार्थी को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया और उच्च न्यायालय ने उसके द्वारा मांगी गई माफी को खारिज करते हुये रूपये 1,000 का जुर्माना लगाया, जिससे व्यथिति होकर अपीलकर्ता ने इस अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जो कि मूल रूप से विशेष अनुमति के लिए याचिका के रूप में दर्ज की गई, और इस अदालत द्वारा दिनांक 23/10/89 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, यह इंगित किए जाने पर कि याचिका को न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत एक अपील याचिका के रूप में माना जाना चाहिए था, अदालत ने पूर्व के आदेश 23/10/89 को वापिस ले लिया और निर्देश दिया कि एसएलपी को आपराधिक अपील के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाए और यह कि अब वर्तमान अपील सुनवाई के लिए आई है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दिनांक 3/8/87 के ज्ञापन पर अनजाने में उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, क्योंकि यह उन कई ज्ञापनो में से एक था जो उसे खेती के मौसम के दौरान खेती के अधिकारो के संबंध में विभिन्न विवादो के संबंध में जारी करने थे। दूसरी ओर प्रतिवादीगणो ने तर्क दिया कि वे 1963 से राज्य के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे क्योंकि राज्य ने भूमि पर उनके अधिकार की अवहेलना करते हुए अन्य लोगों को विवादित भूमि के संबंध में पट्टा दिया था और अपीलार्थी उक्त मुकदमे में प्रतिवादीगणो के हितों के विपरीत काम कर रहा था।

अपील को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

बी.एल.सी.सी के सदस्य के रूप में, प्रतिवादीगणो को पुलिस सुरक्षा मुहैया देने का निर्णय लेने के बाद, अपीलार्थी द्वारा समिति के निर्णय के विपरीत जाने और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करने की संभावना

नहीं थी। इस संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काम के दबाव के कारण कुछ गलती या लापरवाही हुई थी। [59 एफ]

सरकारी अधिकारियों को अदालतो के आदेशो के अनुपालन में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेष रूप से जहां वे भूमि-धारकों के खेती के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटते हैं। [60 ई]

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने स्वयं अपना पत्र दिनांक 3/8/87 वापिस ले लिया और प्रतिवादीगणो को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन इस तरह की खामियां, एक छोटे अंतराल के दौरान भी, कभी-कभी अपूरणीय क्षति और चोट का कारण बन सकती हैं। [60 एफ]

जहाँ जानबूझकर अवज्ञा का मामला बनता है, अदालते संकोच नहीं करेंगी और अपराधी अधिकारी को दोषी ठहरायेंगी और अदालत के रवैये में किसी भी नरमी की उम्मीद केवल इस आधार पर नहीं की जानी चाहिये कि दोषसिद्वि के आदेश संबंधित अधिकारी के सेवा कैरियर को नुकसान होगा। [60 एफ-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: अवमानना आपराधिक अपील संख्या 21/1990

(कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपील में मूल आदेश निविदा संख्या 3597/1986 में सिविल नियम संख्या 529/1988 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 1/7/1988 से।)

जी. रामास्वामी, एस. मुरलीदार और रथिन दास, अपीलार्थी के लिये।

सुश्री निशा बागची और सुश्री इंदु मल्होत्रा, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथन, न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलार्थी को अदालत की अवमानना का दोषी पाया और उसके द्वारा मांगी गई माफी को खारिज करते हुए उस पर एक

हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस अपील याचिका को प्रस्तुत किया है।

याचिका को मूल रूप से विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13144/1989 के रूप में क्रमांकित किया गया था और आदेश दिनांक 23।20/1989 के द्वारा खारिज किया गया था। इसके बाद, यह बताया गया कि याचिका को अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत एक अपील याचिका के रूप में माना जाना चाहिए था। तदनुसार, हमने अपने दिनांक 23.10.1989 के आदेश को वापस ले लिया और एसएलपी को आपराधिक अपील के रूप में फिर से क्रमांकित करने और सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस प्रकार यह अपील अब हमारे सामने आती है।

विशेष अनुमति याचिका को दायर करने में देरी हुई है और इसके परिणामस्वरूप यह अपील की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हमने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया। हम अपील को स्वीकार करते हैं और इसका निस्तारण करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

दिनांक 15.6.87 को, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित आशय का आदेश पारित कियाः

> "इस अपील के निपटारे तक इस आशय का एक अंतरिम आदेश होगा कि प्रतिवादियों को विवादित भूमि के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप करने और/या उक्त भूमि पर खेती करने से रोका जायेगा।"

राज्य सरकार "प्रतिवादी" थी और इसलिए, प्रतिबंधात्मक आदेश राज्य सरकार और उसके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। आदेश में संदर्भित "रिट

याचिकाकर्ता" उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अवमानना याचिका में आवेदक और यहां प्रतिवादीगण थे। दिनांक 21.6.87 को प्रतिवादीगण के वकील ने अपीलार्थी, जो कनिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी (जे.एल.आर.ओ), के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) थे, को उपरोक्त आदेश से अवगत कराया। इसके तुरंत बाद खंड स्तरीय समन्वय समिति (बी.एल.सी.सी.) की भी बैठक हुई और दिनांक 20.7.1987 को एक प्रस्ताव पारित किया कि "कुलतुली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए"। अपीलार्थी तपन कुमार मुखर्जी, बी.एल.सी.सी. के सदस्य थे, इस समिति की बैठक में उपस्थित थे और प्रस्ताव में एक पक्ष थे। हालाँकि, दिनांक 3.8.87 पर, कुलतुली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक ज्ञापन जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में लिखा थाः

> "निम्नलिखित पट्टाधारक इस वर्ष भूमि अनुसूची पर खेती करने के हकदार है। इसलिये उनसे अनुरोध है कि खेती की अवधि के दौरान पट्टाधारकों को पुलिस सहायता दी जाये।"

पट्टाधारकों के नाम और भूमि का विवरण तब ज्ञापन में दिया गया था और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वे विवादित भूमि के संबंध में पट्टाधारक थे जो स्थगन आदेश का विषय था, जो प्रतिवादीगणो को भूमि पर खेती करने के लिये अधिकारो के लिये लड रहे थे। स्पष्ट रूप से, यह ज्ञापन सीधे और स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन था।

तथ्यों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी दिनांक 15.6.87 को अदालत द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी था। इसने अपीलार्थी द्वारा दी गई माफी को स्वीकार नहीं किया और न

ही अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया कि ज्ञापन दिनांक 3.8.87 अनजाने में जारी किया गया था।

हमारे सामने भी यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 3.8.87 के ज्ञापन पर अपीलार्थी द्वारा अनजाने में हस्ताक्षर किए गए थे क्योंकि यह उन कई ज्ञापनों में से एक था जो उसे खेती के मौसम के दोरान उत्पन्न होने वाले खेती के अधिकारो के विभिन्न विवादो के संबंध में जारी करने थे। सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए थे कि जो लोग वास्तव में भूमि पर खेती कर रहे है, उन्हें बिना किसी बाधा के अपनी खेती पूरी करने में मदद की जानी चाहिये और समुदाय के कमजोर वर्गो को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिये। इन दिशा-निर्देशों के आलोक में, पुलिस अधिकारियों को कई ज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें पट्टादारों को उनकी खेती पूरी करने में सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। ऐसे कई ज्ञापन अपीलकर्ता के हस्ताक्षर के लिये रखे गये थे और, अनजाने में, अपीलकर्ता ने भी इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, यह नजरअंदाज करते हुये कि यहां संबंधित भूमि अदालत के अंतरित आदेश के अंतर्गत आती है। दलील दी गई कि यह जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा नहीं बल्कि असावधानी का मामला है। अपीलकर्ता की ओर से एक बार फिर यह कहा गया है कि देश की अदालतो के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान है और वह अपनी असावधानी के कारण अदालत के आदेश के उल्लंघन के लिये पूर्ण और बिना शर्त माफी मांगता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादीगणो के लिए यह प्रस्तुत किया गया है िक मामले के तथ्य इतने सरल नहीं थे। यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण 1963 से पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे क्योंकि राज्य ने भूमि पर प्रतिवादीगणो के अधिकारो की उपेक्षा करते हुये विवादित भूमि के संबंध में दूसरो को पट्टे दिये थे। अपीलार्थी राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ, उपरोक्त मुकदमे में प्रतिवादीगणो के हितों के विपरीत कार्य कर रहा था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश

दिनांक 15/6/1987 में यह विचार व्यक्त किया कि राज्य सरकार को पट्टे नहीं देने चाहिए थे और यह भी कहा है कि जे.एल.आर.ओ. ने विचाराधीन भूमि की खेती के संबंध में अदालत को उचित रिपोर्ट नहीं दी थी। यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 3.8.87 का ज्ञापन जानबूझकर प्रतिवादीगणो को को नुकसान पहुंचाने के लिए जारी किया गया था और हालांकि, प्रतिवादीगण अपने आदेशों को बदलने के लिए तुरंत अपीलार्थी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह कहा जाता है कि यह केवल बी. डी. ओ. के हस्तक्षेप पर था कि प्रतिवादीगण भूमि पर खेती करने में सक्षम थे।

उपरोक्त कथन से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवदीगणो द्वारा दावा की गई भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पट्टा दिए जाने के कारण एक ओर प्रतिवादीगणो और दूसरी ओर राज्य के बीच बहुत अधिक दुर्भावना है। इस मामले में एकमात्र विवाद उन परिस्थितियों को लेकर है जिनके बारे में दिनांक 3.8.87 का ज्ञापन जारी किया गया था। इस पर दोनों पक्षों के आरोप बिल्कुल अलग-अलग हैं। अपीलार्थी का कहना है कि ज्ञापन ऐसे समय में अनजाने में जारी किया गया था जब काम का भारी दबाव था। इस निवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और, प्रथम दृष्टया, दिनांक 20/7/1987 का प्रस्ताव जिसमें अपीलकर्ता एक पक्ष था और तथ्य यह है कि प्रतिवादीगणो को बी.डी.ओ. के हस्तक्षेप की मांग भूमि की कटाई, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को समर्थन देने के लिये करनी पडी। दूसरी ओर, कुछ परिस्थितियाँ हैं जो इंगित करती हैं कि 'अपीलार्थी की ओर से जानबूझकर अवज्ञा करने के बजाय केवल अनजाने में हुआ होगा। हमें ऐसा लगता है कि बी.एल.सी.सी. के सदस्य के रूप में, प्रतिवादीगणो को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लेने के बाद, अपीलार्थी ने समिति के निर्णय के विपरीत जाने और अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करने की संभावना नहीं थी। इस संभावना से पूरी

तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काम के दबाव के कारण कुछ गलती या लापरवाही हुई हो। एक रेडियो संदेश भेजकर बी. डी. ओ. के हस्तक्षेप से भी एक और स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। अवमानना याचिका में, प्रतिवादीगणो का कहना है कि दिनांक 10.8.87 पर उन्हें बी. डी. ओ. के पास जाना पडा और उनके हस्तक्षेप की मांग करनी पडी क्योंकि उस दिनांक को जे.ए.आर.ओ. कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। इसलिये रेडियो संदेश आवश्यक रूप से अपीलकर्ता के असहयोग को स्थापित नहीं करता है। अपीलकर्ता की अनुपलब्धता के कारण प्रतिवादीगणो को बी. डी. ओ. की मदद लेनी पड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादीगणो ने आरोप लगाया है कि वे उनसे पहले मिल चुके थे (और उन्होंने उनके बचाव में आने के लिए अवैध परितोषण की मांग की थी) लेकिन यह आरोप उनके द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 2.12.1987 को लिखे गए पत्र में परिलक्षित नहीं होता है। यह पत्र प्रतिवादीगणो को पुलिस सुरक्षा दिये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश और प्रशासन के आदेशों को संदर्भित करता है । यह स्वीकार करता है कि खेती का काम दिनांक 12.8.87 को पूरा हो गया था। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि दिनांक 11.8.87 को अपीलार्थी ने एक ज्ञापन जारी किया अपने पहले के ज्ञापन को वापस लेते हुये और प्रतिवादीगणो को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी ने अंततः प्रतिवादीगणो को उनकी फसलों की कटाई में सहायता की। यह कुछ हद तक महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादीगणो के पत्र दिनांक 2.12.87 सामग्री में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा जारी ज्ञापन के परिणामस्वरूप पुलिस के सक्रिय संरक्षण के साथ पट्टा धारकों की गतिविधियों के कारण प्रतिवादीगणो द्वारा खेती में बाधा आई थी। इसमें अपीलार्थी के शत्रुतापूर्ण रवैये के बारे में शिकायत की एक फुसफुसाहट भी नहीं है। इन आरोपों वाली अवमानना याचिका को काफी बाद में, जनवरी 1988 के अंत में दायर की गई थी। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम बिना किसी संदेह के यह निष्कर्ष निकालनेमें स्वयं को असमर्थ पाते हैं

कि अपीलार्थी ने इस संबंध में जानबूझकर काम किया था। हम मानना है कि हमें अपीलार्थी को मामले की परिस्थितियों में अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देना चाहिए। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के दिनांक 1.7.88 के आदेश के साथ-साथ अपीलार्थी पर लगाए गए जुर्माने को भी अपासत कर देंगे। जुर्माने की राशि, जो तब से जमा की गई है, अपीलार्थी को वापस कर दी जाएगी।

मामले से अलग होने से पहले, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों को अदालतो के आदेशो के अनुपालन में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेष रूप से जहां वे भूमि-धारकों के खेती के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटते हैं। सौभाग्य से, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने स्वयं अपना दिनांक 3.8.87 का पत्र वापस ले लिया और प्रतिवादीगणो को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन इस तरह की खामियां, एक छोटे अंतराल के दौरान भी, कभी-कभी अपूरणीय क्षति और चोट का कारण बन सकती हैं। इस मामले की परिस्थितियों में हमने, हालांकि कुछ हद तक आरक्षण के साथ, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया है, लेकिन हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जहाँ जानबूझकर अवज्ञा का मामला बनता है, अदालते संकोच नहीं करेंगी और अपराधी अधिकारी को दोषी ठहरायेंगी और अदालत के रवैये में किसी भी नरमी की उम्मीद केवल इस आधार पर नहीं की जानी चाहिये कि दोषसिद्वि के आदेश संबंधित अधिकारी के सेवा कैरियर को नुकसान होगा।

वाई. लाल

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।